

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(906 पार्ट)/2018/ दिनांक:-

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/म0स्वा0का0/(906)/14/502 दिनांक 02.05.2014 द्वारा श्रीमती सुनिता डारा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन उप स्वास्थ्य केन्द्र, अरडुका, खण्ड श्रीनगर (अजमेर) को स्वीकृत अध्ययन अवकाश में निम्नानुसार संशोधन किया जाकर अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

पूर्व में स्वीकृत अवकाश अवधि	संशोधित अवकाश अवधि
3. दिनांक 29.12.2015 से 02.10.2016 तक 279 दिवस का असाधारण अवकाश।	3. दिनांक 29.12.2015 से 10.01.2016 तक 13 दिवस का असाधारण अवकाश।
	4. दिनांक 10.07.2016 से 31.03.2017 तक 265 दिवस का असाधारण अवकाश।

नोट:-खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीनगर (जिला अजमेर) के आदेश क्रमांक 7075-76 दिनांक 22.07.2016 द्वारा कार्मिका का दिनांक 11.01.2016 से 09.07.2016 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया है।

निदेशालय के आदेश दिनांक 02.05.2014 में अंकित शेष अवकाश अवधि यथावत रहेगी।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(906 पार्ट)/2018/634

दिनांक:-03/04/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, एजी हॉस्पिटल, बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीनगर (अजमेर)।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर